बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–05/न0वि (गठन)–18/2016 2726 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा–3 सह पठित धारा–4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नगर पंचायत के सृजन के लिए निम्नलिखित आदेश का प्रारूप निर्गत करना चाहते हैं, जिसे उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी एवं आपत्ति/सुझाव यदि कोई हो दाखिल करने हेतु इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के बाद उक्त प्रारूप पर विचार किया जायेगा।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम की धारा–5 के अधीन विचार किया जायेगा।'

प्रारूप आदेश

संख्या–05/न0वि (गठन)–18/2016 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज के निम्नलिखित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करने तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करने के लिए, एक नया नगर पंचायत, त्रिवेणीगंज के सृजन हेतु घोषणा करते हैः–

1. ग्रामों के नाम एवं थाना नं0

(क)

ग्रामों के नाम–	थाना सं0
1. बभनगामा अंश	271
2. थलहागढ़िया अंश	269
3. लतौना अंश	273
4. डपरखा	277

(ख) **चौहद्दी–**

उत्तर	बरहकुरवा, बभनगामा अंश, थलहागढिया अंश
दक्षिण	कुशहा, लतौना अंश
पूरब	लक्ष्मीनियाँ
पश्चिम	महेशुआ, बभनगामा अंश, जागुर

इन क्षेत्रों को नगर पंचायत, त्रिवेणीगंज कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
13/4/2017
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या–05/न0वि (गठन)–18/2016 2726 /न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक– 13/4/17

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

13/4/2017
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

D:\Ranjan 12.04.2017\Ranjan, 2017\Ranvi\thdu3h\Notification of Trivaniganj.doc

संख्या–05 / न0वि (गठन)–18 / 2016 2726 / न0वि0एवं.आ0वि0 / पटना, दिनांक– 13/4/17

प्रतिलिपिः–सभी विभाग / सभी विभागध्यक्ष / प्रमंडलीय आयुक्त, / जिला पदाधिकारी, सुपौल / महालेखाकार, बिहार, पटना / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / कोषागार . पदाधिकारी, सुपौल / माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/2017

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या–05 / न0वि (गठन)–18 / 2016 2726 / न0वि0एवं.आ0वि0 / पटना, दिनांक– 13/4/17

प्रतिलिपिः– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/2017

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

D:\Ranjan 12.04.2017\Ranjan, 2017\Ranvi\thdu3h\Notification of Trivaniganj.doc

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–05 / न0वि (गठन)–18 / 2016 अधिसूचना संख्या–2326 दिनांक–13/4/17 / का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department
Notification

Memo No-05/ n vi (Gathan)-18/2016 2327 In exercise of the powers conferred by section 3 read with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order for creation of Nagar Panchayat, Trivaniganj which is hereby published for the information and to file objection/suggestion, if any, of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft would be considered after a month from the publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered under section-5 of the said Act.

Draft Order

Memo No-05/ n vi (Gathan)-18/2016 / In Exercise of powers conferred by sub section (1) (c) of Secion-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar is hereby pleased to declare for creation of a new Nagar Panchayat, to the apply the administrative provisions and to enforce the provisions of the said Act in the following areas falling under Trivaniganj villages in the District of Supaul, whose boundary are noted below:-

1 Name of villages and Thana Nos

(a) Name of Villages-

Village	Thana No.
1. Babhangama Ansh	271
2. Thalhagadhiya Ansh	269
3. Latona Ansh	273
4. Daprakha	277

(b) Boundary-

North- Barahkurva, Babhangama Ansh, Thalhagadhiya Ansh
South- Kushha, Latona Ansh
East- Laximiniya
West- Maheshua, Babhangama Ansh, Jaagur

These area will be called The Nagar Panchayat, Trivaniganj

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar
13/4/2017

(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.

D:\Ranjan, 2017\Ranvi\thdu3h\Notification of Trivaniganj.doc

Memo No-05/ n vi (Gathan)-18/2016 2727 UD&HD Dated:- 13/4/17

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

13/4/2017

Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.

. Memo No-05/ n vi (Gathan)-18/2016 2727 UD&HD Dated:- 13/4/17

Copy to All Departments/Departmental Heads/all District Magistrates/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Supual/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Principal Secretary to Principal Secretary Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

13/4/2017

Principal Secretary
Urban Development and Housing Department

Memo No-05/ n vi (Gathan)-18/2016 2727 UD&HD Dated:- 13/4/17

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

13/4/2017

Principal Secretary
Urban Development and Housing Department

D:\Ranjan, 2017\Ranvi\thdu3h\Notification of Trivaniganj.doc